मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालकों/तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों एवं संभागीय मंडी सचिवों के साथ दिनांक 17.02.2025 को आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।

--00--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारियों, आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालकों, तकनीकी संभागों के कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्रियों तथा संभागीय मंडी सचिवों के साथ प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में प्रातः 10:30 बजे मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई।

उक्त बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के समस्त अधिकारी, आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर के संयुक्त/उपसंचालक मंडी बोर्ड मुख्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित रहे तथा शेष अधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(01)लंबित आश्वासनों की समीक्षा:-

लंबित आश्वासनों पर संभागवार अधिकारियों से चर्चा की गई। आश्वासनों से संबंधित शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्यवाही करें, विधानसभा आश्वासनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आश्वासनों के विलोपन संबंधी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे कई वर्षों से लंबित आश्वासन की स्थिति निर्मित है, पत्राचार के साथ-साथ अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करें, लापरवाही न करें। जबलपुर संभाग के प्रकरणों की संख्या अधिक है। केवल पत्राचार मात्र से कार्यवाही की पूर्ति नहीं करें, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करें तथा कार्यवाही करें। आश्वासनों की पूर्ति कर विलोपन करने की दिशा में कार्यवाही करने के निर्देश हैं। मंडी समिति कटनी की 73 शिकायतें है जिसमें 42 लंबित हैं, रीवा की 21 शिकायतों में से 17 लंबित हैं, भोपाल की

26 तथा करेली की 05 लंबित शिकायतें हैं, आश्वासनों से संबंधित शिकायतों की जांच प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। जिन आश्वासनों के संबंध में मंडी शुल्क की शेष वसूली के प्रकरणों में संबंधित फर्मों/व्यापारियों द्वारा मंडी समितियों/ मंडी बोर्ड के विरूद्ध माननीय न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं ऐसे प्रकरणों में मंडी समितियों के सचिवों एवं संबंधित आंचलिक अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें तथा आवश्यकता अनुसार संबंधित अधिवक्ताओं से संपर्क कर नियुक्त प्रभारी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। आश्वासन क्रमांक 1450 में निराश्रित शुल्क की वसूली में भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और सागर द्वारा वसूली की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है तथा इंदौर, रीवा, जबलपुर संभाग आंचलिक अधिकारियों की कार्यवाही शेष है। मंडी सचिव इंदौर से मार्च 2025 तक वसूली की कार्यवाही पूर्ण करने की अपेक्षा है। आंचलिक संयुक्त संचालक जहां आरआरसी अंतर्गत वसूली की कार्यवाही की जाना है वहां वसूली की कार्यवाही पूर्ण कराएं। 15 दिवस के भीतर उक्त के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया तथा आगामी बैठक में अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

(2)ई-मंडी :-

संयुक्त संचालक अपने संभाग की मंडी समितियों का निरीक्षण करें कि ई-मंडी क तथा ख श्रेणी की मंडियों में पूर्ण रूप से लागू है अथवा नहीं, आवश्यक प्रशिक्षण दिए जा चुके है, जिस मंडी में ई-मंडी लागू करने में परेशानी है उसका प्रतिवेदन प्रेषित करें।

संभागीय संयुक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे की ई-मंडी की प्रक्रिया वास्तविक रूप से मंडी समितियों में लागू हो। पूर्व की समय-सीमा तथा मासिक वीडियों कॉंफ्रेंस समीक्षा बैठकों में भी कई बार निर्देश दिए गए हैं लेकिन अभी भी मंडी समितियों में पूर्ण रूप से ई-मंडी की वास्तविक प्रक्रिया परिलक्षित नहीं हो रही है। समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं मॉनिटरिंग करें कि ई-मंडी का क्रियान्वयन सफलता पूर्वक हो।

(3)प्रोपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल:-

मंडी समितियों की समस्त अचल संपत्ति की जानकारी प्रोपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर दर्ज कराने के साथ पोर्टल की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कराएं समस्त आंचलिक संयुक्त संचालक अपने कार्यपालन यंत्री तथा मंडी सचिव के माध्यम से उक्त कार्य 15 दिवस में पूर्ण करें । पोर्टल पर समस्त जानकारी भरें तथा दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करें।

सभी संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री एवं मंडी सचिव तथा उपयंत्री कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र भरकर मुख्यालय प्रेषित करें कि प्रोपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा कोई भी प्रविष्टि शेष नहीं है।

(4)एफपीओ लायसेंस:-

संभागवार FPO को लायसेंस जारी करने की कार्यवाही की समीक्षा की गई। पूर्व में भी निर्देशित है कि FPO को लायसेंस जारी करने की कार्यवाही शीघ्रता से करनी है तथा लायसेंस नहीं लेने की स्थिति में संबंधित FPO से लिखित में प्राप्त करना है। आंचलिक कार्यालय भोपाल में कुल FPO की संख्या 228 है जिसमें 162 को लायसेंस जारी किए गए हैं तथा शेष 66 है इसी प्रकार इंदौर संभाग में में 147 FPO में से 113 को लायसेंस जारी किए गए है, उज्जैन में 240 में से 205 FPO को लायसेंस जारी हुए है, जबलपुर में 114 में से 92 FPO को लायसेंस जारी करने की कार्यवाही की गई, रीवा में 82 में से केवल 28 FPO को लायसेंस जारी किए गए तथा ग्वालियर में 200 FPO में से 123 को लायसेंस जारी किए गए एवं सागर में 80 में 69 FPO को लायसेंस जारी करने की कार्यवाही की गई है। अद्यतन जानकारी के साथ नस्ती प्रस्तुत करने के निर्देश हैं।

(5)बायोमेट्रिक उपस्थिति :-

समस्त आंचलिक कार्यालयों तथा समस्त मंडी समितियों में पदस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी, आउटसोर्स के सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज की जाना है साथ ही वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक की उपस्थिति के आधार पर ही प्रदाय की कार्यवाही की जाना है इस संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए हैं। आंचलिक संयुक्त संचालक एवं मंडी सचिव सुनिश्चित करेंगे कि वेतन का भुगतान बायोमेट्रिक मशीन में उपस्थिति के आधार पर ही प्रदाय किया जाए।

(6)आउटसोर्स कर्मचारियों का सेटअप:-

मंडियों में आवश्यतानुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को रखे जाने के लिए समस्त आंचलिक संयुक्त संचालकों से अभिमत चाहा गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को रखे जाने हेतु मंडी सचिवों के साथ समीक्षा कर उक्त के संबंध में अभिमत प्रस्तुत करें। महानगरों की मंडियों में बडे प्रांगण होने के कारण अधिक कर्मचारियों की आवश्यता हो सकती है, उसके बाद "क" श्रेणी की मंडियों में फिर "ख"तथा " ग" श्रेणी आदि शेष मंडियों में आवश्यकतानुसार कितने कर्मचारियों को रखा जा सकता है का अभिमत संयुक्त संचालक मंडी सचिवों के साथ विचार-विमर्श कर मुख्यालय प्रेषित करेंगे। (समय-सीमा 07 दिवस)

(7)न्यायालयीन प्रकरण:-

माननीय उच्च न्यायालय में मंडी बोर्ड/मंडी समिति के लंबित/विचाराधीन न्यायालयीन प्रकरण एवं अवमानना प्रकरणों की समीक्षा की गई न्यायालयीन प्रकरणों में सेवा से संबंधित विषयों के न्यायालयीन प्रकरण अधिक है इसमें अवमानना की स्थिति निर्मित हो रही है इन विषयों पर समय पर कार्यवाही करें जिससे अवमानना की स्थिति निर्मित नहीं हो। न्यायालयीन तथा अवमानना प्रकरण के संबंध में कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक-47 दिनांक 21.01.2025 द्वारा पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।

(8)कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक का कार्यवाही विवरण पर कार्यवाही:-

कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी किया गया है। कार्यवाही विवरण के बिंदुओं पर पूर्ण कार्यवाही हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने का पत्र जारी करें।समस्त बिंदुओं पर शाखावार नोडल अधिकारी नियुक्त कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं।

(09) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:-

- शिवपुरी/करैरा का प्रतिवदेन प्राप्त हो गया है, आगामी कार्यवाही करें।
- समय-सीमा बैठक में सी.एम. मॉनिट/सी.एस. मॉनिट के पत्रों पर की गई कार्यवाही की विस्तृत रूप से जानकारी दर्ज करें।
- इंदौर में फूलों की आवक को एकजाई रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है, फूलों की प्रजातिवार आवक प्रविष्टियां करने के निर्देश हैं।

समय-सीमा के प्रकरणों की शाखावार समीक्षा की गई एवं पूर्ण कार्यवाही वाले प्रकरणों को समय-सीमा की सूची से विलोपित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समय-सीमा समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

(कुमार पुरूषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/समय सीमा/फरवरी/2133 भोपाल, दिनांक 19 /02/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. संयुक्त संचालक/अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
4. उप संचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक /सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
6 कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग (समस्त)।
7. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त) मध्यप्रदेश।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल